

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). Government charges rent for its accommodation assessed in accordance with the provisions contained in F.R. 45A subject to a maximum of 10 per cent of pay in the case of officers drawing emoluments more than Rs. 150/- p.m. and 7½ per cent in the case of officers drawing less than Rs 150/-p.m. The rentals of private accommodation in classified cities are much higher. Government have, therefore, allowed a subsidy in the shape of house rent allowance for Government servants who are not provided with Government accommodation. Thus, there is no anomaly in this matter.

(c) Does not arise

Transport Firms of Rohtak

3970. **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 309 on the 3rd November 1966 and state:

(a) whether the scrutiny and examination of the accounts of the transport firms in Rohtak District in order to assess the evasion of tax by these firms has since been completed;

(b) if so, the new tax assessment made; and

(c) the fines/penalties imposed, if any?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir

(b) and (c). Does not arise

M/s. Remfry & Son

3971. **Shri Madhu Limaye:**
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to

Starred Question No. 345 on the 17th November, 1966 and state:

(a) whether proceedings under Section 19(2) of the Foreign Exchange Regulations Act have since been completed;

(b) the amount of fine imposed on M/s. Remfry and Son; and

(c) whether the fine has been recovered?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) On the completion of the proceedings under section 19(2) of the Foreign Exchange Regulation Act instituted against M/s. Remfry & Son, three show cause notices have been issued to them for contravention of sections 9.4(1) and 5(1)(a) respectively of the said Act. The adjudication proceedings are in progress.

(b) and (c) Do not arise at this stage.

गढ़क परियोजना

3972. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० न० लिखारी :

क्या सिक्षाई और विद्युत मंडी यह बताने की हृषा करेंगे कि :

(क) क्या यह मध्य है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1967-68 में गढ़क परियोजना के लिये अपने हिस्से की देय-राशि कम कर दी है और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिक्षाई और विद्युत मंद. (क० एल० राज०) (क) धीर
 (ख). केन्द्रीय सरकार गढ़क परियोजना पर व्यय के लिये बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य भरकरों को राज्य बोर्ड में निर्वाचित सीमा के अन्दर जल प्रति जल निश्चित रूप सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त

नेपाल को लाज पहुंचाने वाले कार्यों के लिए औ परियोजना का भाग है और जिन की कार्यान्विति बिहार सरकार द्वारा की जा रही है राज्य योजना में निर्धारित सीमा के अलावा वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में दी जा रही है। 1967-68 वर्ष के लिए गण्डक परियोजना के लिए धन का अस्थायी आवंटन परियोजना अधिकारियों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं से कम है। संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए 1967-68 के वर्ष के लिए इग परियोजना के निमित्त अलाट की गई वित्तीय सहायता को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मन्त्रालय के स्टाफ कारे

३९७३. श्री विभिन्न मिश्र :

अ: क० ना० तिवारी :

अ० कंप्रर लाल गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रत्येक मन्त्रालय में मन्त्रालय-वार कितनी स्टाफ कारे हैं तथा वे कारे किस किस 'मेंक' की हैं और यदि कोई वातानुकूलित कारे हैं तो कितनी और वे किस किस मन्त्रालय के पास हैं;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों की ये स्टाफ कारे प्रति दिन जितने भील चलती हैं क्या उस का कोई दैनिक रिकार्ड सरकार रखती है;

(ग) वर्ष 1965-66 में उन पर कितना खर्च किया गया और वह कितने भील रखी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि मंत्री द्वारा अधिकारी केवल स्टाफ कारों का ही उपयोग करते हैं; अपनी कारों का नहीं?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री लोहारजी देसाई) : (क) जिन व्यक्तियों ने विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के प्रादेशों के अनुसार अदायगिया प्राप्त की थी उनको विदेशी-मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम की घारा १९(२) के अन्तर्गत निदेश जारी किये गये

मंत्रालयों/विभागों से सूचना इष्टठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा की भेज पर रख दी जाएगी।

(ग) स्टाफ कारों के चलने की भील-दूरी का हिमाव रखने के लिए नियमानुसार एक "लाग-बुक" रखी जाती है। प्रत्येक यात्रा के प्रारम्भ और अंत को लाग-बुक में दर्ज करना होता है।

(घ) जी नहीं। मन्त्रियों और अधिकारियों द्वारा वास्तविक मरकारी यात्राओं के लिये तथा निर्धारित दरों के हिमाव से अदायगी करने पर गैर-मरकारी यात्राओं के लिए स्टाफ कारे राम में लाई जा सकती हैं बताते कि वे उपलब्ध हो। वास्तव में जब स्टाफ-कारे उपलब्ध नहीं होती हैं तो प्राइवेट कारों को राम में लाया जाता है।

मुद्रा का पकड़ा जाना

१०१। श्री उल्लास दिल्ली :

श्री दुर्ग उल्लास दिल्ली :

क्या वित्त मंत्री 30 मार्च 1967 के अनारावित प्रश्न अन्या 204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा दरेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा विदेशी मुद्रा और कुछ अपरिजनक दस्तावेज प्रवर्ण जाने के बारे में की जा रही जाच पूरी हो युकी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अपनायियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस का व्यौरा क्या है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री लोहारजी देसाई) : (क) जिन व्यक्तियों ने विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के प्रादेशों के अनुसार अदायगिया प्राप्त की थी उनको विदेशी-मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम की घारा १९(२) के अन्तर्गत निदेश जारी किये गये